Established in 2008
"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, भारत

NAAC Accredited | UGC Approved | Recognized by Statutory Councils

राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक विकास में भूमिका

(चित्तौड़गढ जिले के विशेष संदर्भ)

शोधार्थी

कमलेश खटीक

एनरोलमेन्ट नं.

JVR/II/22/11061

शोध निर्देशक

डॉ. मिनी अमित अरावतिया

वाणिज्य विभाग

पीएच.डी.

(वाणिज्य)

शोध उपाधि पंजीयन के लिए प्रस्तुत

सार-संक्षेप (SYNOPSIS)

Estd. in 2008

''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ''

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, भारत

NAAC Accredited | UGC Approved | Recognized by Statutory Councils

राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक विकास में भूमिका

(चित्तौड़गढ जिले के विशेष संदर्भ)

शोधार्थी

कमलेश खटीक

एनरोलमेन्ट नं.

JVR/II/22/11061

शोध निर्देशक

डॉ. मिनी अमित अरावतिया

वाणिज्य विभाग

पीएच.डी.

(वाणिज्य)

शोध उपाधि पंजीयन के लिए प्रस्तुत

सार-संक्षेप (SYNOPSIS)

Estd. in 2008
''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ''

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पेज नंबर
1.	प्रस्तावना	3
2.	साहित्य की समीक्षा	5
3.	समस्या का विधान	7
4.	अध्ययन का क्षेत्र	7
5.	अध्ययन का महत्व	7
6.	अध्ययन के उद्देश्य	8
7.	परिकल्पना	8
8.	अनुसंधान पद्धति	9
9.	अध्याय योजना	10
10.	अध्ययन की सीमाएं	10
11.	निष्कर्ष	11
12.	संदर्भ ग्रंथ सूची	12

प्रस्तावना

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना भारत में ग्रामीण ऋण के इतिहास में एक मील का पत्थर है। क्रेडिट कार्ड का तंत्र बैंकों की पहुंच का विस्तार करने और क्रेडिट वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए विकसित किए गए प्रमुख उत्पादों में से एक रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत से संबंधित घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1998–99 के बजट भाषण के दौरान की गई थी।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बैंकों द्वारा समान रूप से अपनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे कृषि आदानों को आसानी से खरीदने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकें और अपनी उत्पादन जरूरतों के लिए नकदी निकाल सकें। मॉडल योजना अगस्त 1998 में वाणिज्यिक बैंकों सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रसारित की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को फसलों की खेती के लिए उनकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं के लिए बेकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता प्रदान करना है। इससे उन्हें मुख्य रूप से फसल के मोसम के दौरान इनपुट खरीदने में मदद मिलती है। सिस्टम में लचीलापन लाने और लागत दक्षता में सुधार करने के लिए क्रेडिट कार्ड योजना का प्रस्ताव किया गया है।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ है, जिस पर देश की लगभग 58 प्रतिशत आबादी आज भी अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। कृषि क्षेत्र में इनपुट के रूप में ऋण की प्रमुख भूमिका है, इसलिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एक बहु–एजेंसी दृष्टिकोण अपनाया गया है। समय पर और पर्याप्त कृषि ऋण का प्रावधान और किसानों को इसका वितरण भारत में बैंकों के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक रहा है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर नवाचार की आवश्यकता होती है। इस दिशा में किसान क्रेडिट कार्ड भारत में कृषि बैंकिंग के क्षेत्र में कोई नई अवधारणा नहीं है।

कृषि ऋण कृषि की सफलता में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण आदानों में से एक है। कृषि का महत्वपूर्ण कार्य ऋण पर निर्भर है, क्योंकि ऋण किसानों के लिए कृषि के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण इनपुट है। भारत में किसानों को कृषि क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए एक सुव्यवस्थित संस्थागत ऋण प्रणाली है। लेकिन कृषि क्षेत्र की प्रमुखता को देखते हुए, क्रेडिट एक बडी चुनौती है। भारत गाँवों में बसता है हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का न केवल महत्व है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है।

कृषि हमारे देश के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है।

बैंकों द्वारा समान रूप से अपनाने के लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की गई ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि जैसे कृषि आदानों को आसानी से खरीदने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकें और अपनी उत्पादन जरूरतों के लिए नकदी निकाल सकें। मॉडल योजना वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रसारित की गई थी। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी वाणिज्यिक बैंकों केंद्रीय सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।। इसका उद्देश्य किसानों को लचीले और लागत प्रभावी तरीके से फसल ऋण प्रदान करना है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, केसीसी के तहत आने वाले लाभार्थियों को क्रेडिट और पास जारी किया जाता है। क्रेडिट कार्ड सह–पासबुक के रूप में बुक करें जिसमें नाम पता और हाथ से उधार लेने की सीमा और वैधता का विवरण शामिल हो।

चित्तौड़गढ शहर भारत के उत्तर–पश्चिमी भाग में राजस्थान राज्य के दक्षिण–पूर्वी भाग में स्थित है। यह गंभीरी नदी के पास एक ऊंची पहाडी के पास स्थित है। चित्तौडगढ जिला राजस्थान राज्य के दक्षिण–पूर्वी भाग में 24^{0} °13^{0} से 25^{0} °13^{0} अक्षांश और 74^{0} °04^{0} से 75^{0} ° 53^{0} देशांतर के बीच स्थित है।जिले की स्थलाकृति आम तौर पर पूरे क्षेत्र में बिखरी हुई अरावली पर्वतमाता से संबंधित पहाडियों के साथ तहरदार है। तीन प्रमुख नदियाँ जिले से होकर गुजरती है, जैसे कि चंबल, बनास और बेडच के साथ–साथ गंभीर ब्राह्मणी और गुजलि जैसी सहायक नदियाँ।

चित्तौडगढ वह वीरभूमि है जिसने समूचे भारत के सम्मुख शौर्य, देशभक्ति एवम् बतिदान का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ के असंख्य राजपूत वीरों ने अपने देश तथा धर्म की रक्षा के लिए असिधारारुपी तीर्थ में स्नान किया। वहीं राजपूत वीरांगनाओं ने कई अवसर पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने बात बच्चों सहित जोहर की अग्नि में प्रवेश कर आदर्श उपस्थित किये। इन स्वाभिमानी देशप्रेमी योद्धाओं से भरी पडी यह भूमि पूरे भारत वर्ष के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनकर रह गयी है। यहाँ का कण कण हममें देशप्रेम की तहर पैदा करता है। यहाँ की हर एक इमारतें हमें एकता का संकेत देती है।

किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे

किसान क्रेडिट कार्डयोजना से किसानों को कई लाभ मिले हैं जो निम्नलिखित है–

1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना का सबसे बडा लाभ यह है कि किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण आसानी से मिल जाता है। उसमें भी अगर किसान इस ऋण का समय रहते भुगतान कर देते हैं तो और कुछ फीसदी तक ब्याज दर कम हो जाता है। 7 प्रतिशत ब्याज दर में समय रहते भुगतान करने पर 3प्रतिशत की छूट मिलती है यानी कि कुल मिलाकर 4प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण मुहैया हो जाता है)
2. सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें बहुत ही आसान कर दिया है जिसे कोई भी किसान बडी आसानी से पूरा कर सकता है।
3. बैंकों में कुछ दस्तावेज देखकर बहुत ही कम समय में किसान, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं।
4. किसानों को साहूकारों व जमींदारों से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के आने से किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। जिससे किसानों को अब इन साहूकारों से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पडती है।
5. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण मिलने से किसानों की सभी कृषि कार्य समय पर पूरा हो जाता है। यहां तक कि कृषि के लिए सभी आवश्यक जरूरते समय पर पूरा हो जाता है।
6. किसानों को मात्र 4प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध हो जाता है।
7. कई बैंकों से खाता धारक को डेबिट कार्ड फ्री में जारी किए जाते हैं।
8. इस योजना के तहत 1.60 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए जमीन को बंधक रखने की आवश्यकता नहीं होती कोई गारंटी नहीं देनी पडती है।
9. किसान क्रेडिट कार्ड योजना की यह खास बात है कि किसान जब भी ऋण का भुगतान करवा देता है तो भुगतान करवाते ही वह वापस लोन लेने का पात्र हो जाता है।

साहित्य की समीक्षा

प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा शोध समस्या की रूपरेखा तैयार करने में सहायक होती है। शोधकर्ता मौजूदा अध्ययनों में सुधार करने में सक्षम होता है यदि वह विषय वस्तु से संबंधित साहित्य की

समीक्षा पर सही प्रयास करता है। साहित्य की समीक्षा किसी भी व्यवस्थित शोध कार्य का एक अभिन्न अंग है वर्तमान अध्ययन में समस्याओं से संबंधित साहित्य की कुछ प्रासंगिक समीक्षा की गई है जो निम्न प्रकार हैं।

रंगराजन (2021)

इस अध्ययन में यह जांच की गई थी भारत में ऋण की स्थिति बहुत खराब है। गरीब अपनी मदद कैसे कर सकते हैं गरीबों को ऋण प्रदान करने लिए मुद्रा प्रवाह को बढाने के लिए विशेष रूप से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। आईआरडीपी स्वरोजगार कार्यक्रम और कम ब्याज दर के साथ ऋण प्रदान करने जैसे कई कार्यक्रम गरीबी निवारण में प्रभाव डालते है। परंतु बैंकों द्वारा ऋण देने की बोझिल प्रक्रिया और आंशिक रूप से ग्रामीण बैंक को संभालने में बैंक कर्मचारियों के कारण देरी होने के कारण यह प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकी।

पटेल (2019)

प्रस्तुत अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में किसीसी की आवश्यकता ने केवल मध्यम स्तर के किसानों बल्कि निम्न स्तर के किसानों के लिए भी है आवश्यक है। इस अध्ययन में सिफारिश की गई की ब्लॉक स्तर और राज्य स्तर पर बैंक समिति को न केवल त्रैमासिक आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की निगरानी करनी चाहिए बल्कि यह भी जांच करनी चाहिए कि स्वीकृत राशि के उपयोग का सीधा प्रभाव किसानों के उत्पादन पर पडता है। देश में फसल उत्पादन के अलावा केसीसी योजना की उपयोगिता और प्रभावशीलता को देखते हुए इसे किसानों की जरूरत के अनुरूप संशोधित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता और प्रभावशीलता पर कार्य करने की आवश्यकता है।

दुबे (2018)

प्रस्तुत अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड को अपनाने पर विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों का सही रूप में विकास हो रहा है। इस योजना का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पडा है क्योंकि बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए समाज के कमजोर वर्ग के लिए खेती योग्य बनाना एवं उसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी सी के समान वितरण का होना आवश्यक है।

लोगांथन (2016)

2010 से 2015 के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों आरआरबी और वाणिज्य बैंकों के द्वारा जारी किए गए केसीसी का विश्लेषण किया गया है। सदन में भारत में कृषि के विकास के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना का प्रारंभिक वर्षों में सक्रिय रूप से योगदान रहा परंतु उसके बाद इस योजना के अंतर्गत पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया इस योजना के तहत 3 करोड से अधिक किसानों को लाभ हुआ और आने वाले वर्षों में इस योजना को अन्य किसानों तक भी बढाया जा सकता है।

समस्या का विधान

चितौडगढ भारत में राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कम विकसित और संकटग्रस्त जिलों में से एक है। इस जिले की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और इसकी सहायक गतिविधियों पर निर्भर है। उनके कृषि आदानों और अन्य ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। कृषि और इसकी सहायक गतिविधियों पर निर्भर रहने और उनके लिए रोजगार के अन्य पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण, उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है और बडी संख्या में लोगों को बेरोजगारी और अपर्याप्त आय के अवसरों के कारण भयानक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। किसान अपने क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं के लिए आर्थिक रूप से साहूकारों पर निर्भर होते हैं। वे ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते हैं और उन्हें ऋणग्रस्तता और गरीबी के दुष्चक्र में धकेल देते हैं। उनकी बिगडती सामाजिक– आर्थिक स्थिति उन्हें साहूकारों द्वारा उन पर किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध करने में असमर्थ बनाती है। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना उनकी आय के स्तर को बढाने, कृषि उत्पादकता और अध्ययन क्षेत्र में ऋणग्रस्तता की समस्या को कम करने, इसकी जरूरतों और अनुभवजन्य अनुसंधान के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है।

अध्ययन का क्षेत्र

वर्तमान अध्ययन किसान क्रेडिट कार्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने तक सीमित है, जो भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को किफायती दर पर ऋण सुनिश्चित करने की एक पहल है। यह योजना विशेष समिति की सिफारिश के आधार पर 1998 में शुरू की गई। किसान खेती की गतिविधियों के लिए गैर–संस्थागत ऋण स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। हालाँकि, अनौपचारिक या असंगठित ऋण बाजार ने किसानों का शोषण किया इसलिए किसानों को पर्याप्त, समय पर और लागत प्रभावी धन

की उपलब्धता की गारंटी देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। इसका दायरा कृषि उत्पादों संबंधी अन्य खर्चों, कृषि सहायता के रखरखाव और डेयरी, प्रदूषण आदि जैसी अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए धन जुटाने का रहा है।

अध्ययन का महत्व

यह अध्ययन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रदर्शन, कृषि आय, उत्पादकता और ऋणग्रस्तता पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव को दर्शाता है। अध्ययन केसीसी योजना की प्रमुख समस्याओं की भी पहचान करता है और योजना के कार्यान्वयन के लिए बेहतर सुझाव भी प्रस्तुत करता है, अध्ययन आरबीआई और नाबार्ड के लिए अधिक फायदेमंद होगा क्योंकि बैंकरों और नीति निर्माताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत उपाय करना महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन इस संबंध में आगे के अध्ययन के लिए शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए सहायक होगा।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन की गहनता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उद्देश्यों का निरूपण किया गया है

1. भारत में सामान्य राजस्थान, विशेष रूप से चितौडगढ में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रदर्शन का विश्लेषण करना।
2. अध्ययन क्षेत्र में पूर्ववासियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को जानना ।
3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए गए ऋण की पर्याप्तता की जांच करना।
4. किसानों के क्रेडिट उपयोग पैटर्न और उसके पुनर्भुगतान प्रदर्शन की जांच करना ।
5. किसान क्रेडिट कार्ड योजना से कृषि आय और उत्पादकता के प्रभाव का अध्ययन करना।
6. किसानों में कृषि ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भूमिका का विश्लेषण करना।

परिकल्पना

उपर्युक्त उद्देश्यों से पता चलता है कि परिकल्पना के निर्माण के बिना अनुसंधान शून्य है और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने स्वयं ज्ञान अनुसंधान विषय के साथ और अनुसंधान गाइड के मार्गदर्शन के साथ निम्नलिखित परिकल्पना तैयार की है।

1. कृषि विकास के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की संख्या में सकारात्मक वृद्धि दर पाई गई है।

2. किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को पर्याप्त और समय पर सहायता प्रदान कर रही है।
3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों की कृषि आय और उत्पादकता बढाने में मदद करती है।
4. किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
5. किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के बीच कृषि ऋणग्रस्तता को कम करने में मदद करती है।

अनुसंधान पद्धति

प्राथमिक आंकडे

अध्ययन के उद्देश्यों का मूल्यांकन करने के लिए उत्पादन, आय, उधार, पुनर्भुगतान, ब्याज और उधार की लागत, उधारकर्ता की संपत्ति की स्थिति, राय आदि से संबंधित प्राथमिक डेटा पूर्व परीक्षण और अच्छी तरह से संरचनात्मक अनुसूची का उपयोग करके चयनित उधारकर्ताओं से जानकारी एकत्र की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कामकाज के प्रदर्शन पर बैंक अधिकारियों यो की राय जानने के लिए सटीकता और समझ सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ताओं का व्यक्तिगत रुप से साक्षात्कार किया गया हैं, विभिन्न प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। इन प्रश्नावलियों को व्यक्तिगत रूप से प्रचारित किया गया और उत्तरदाताओं से राय मांगी गई।

द्वितीयक समंक

चित्तौडगढ जिले में केसीसी के माध्यम से वितरित राशि और चुकाई गई राशि अग्रणी बैंकों से प्राप्त की गई थी और अध्ययन क्षेत्र में केसीसी की संख्या में वृद्धि का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया गया है। केसीसी और अन्य फसल ऋण जारी करने और नवीनीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी एकत्रित की गई है। अध्ययन के लिए आवश्यक द्वितीयक समंक वार्षिक रिपोर्ट बैंकों के प्रकाशित पत्रों के माध्यम से और सांख्यिकी विभाग राजस्थान इत्यादि के माध्यम से एकत्रित किया गया है।

प्रतिचयन प्रक्रिया

अध्ययन का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रदर्शन का विश्लेषण करना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने में सही नमूना चयन करने के लिए 2 हेक्टेयर से कम के सीमांत किसानों, मध्यम किसानों एवं बडे स्तर के किसानों का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया है। प्रतिचयन में प्रत्येक श्रेणी श्रेणी से चयनित पूर्व उत्तरदाताओं की संख्या का चयन किया गया है। अध्ययन के उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रदर्शन पर राय जानने के लिए बैंक प्रबंधकों की राय पर भी विचार किया गया है।

अध्याय योजना

संपूर्ण अध्ययन को 5 अध्याय में प्रस्तुत किया गया है

अध्याय 1.

प्रथम अध्याय के अंतर्गत प्रस्तावना में अत्यंत से संबंधित उद्देश्य एवं परिकल्पना एवं पद्धति पर प्रकाश डाला गया है जिसमें अध्ययन के क्षेत्र समय को की प्रकृति स्रोत एवं उपयोग किए गए विश्लेषणात्मक उपकरण और तकनीकी शामिल है।

अध्याय 2.

द्वितीय अध्याय के अंतर्गत अध्ययन से संबंधित की गई समीक्षा ओं का वर्णन किया गया है जोकि शोध के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है। इस अध्याय के अंतर्गत शोध से संबंधित पूर्व में किए गए शोध से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया गया है।

अध्याय 3.

तृतीय अध्याय शोध प्रविधि से संबंधित हैं। इस अध्याय में शोध से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिकल्पना का निर्माण एवं परिकल्पनाओं की जांच के लिए कि जाने वाली शोध प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

अध्याय 4.

इस अध्याय के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आर्थिक विश्लेषण और अध्ययन क्षेत्र में इसका प्रभाव का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत क्षेत्र में किसान की आय और कृषि उत्पादकता पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव को भी दर्शाया गया है।

अध्याय 5.

इस अध्याय के अंतर्गत सारांश और निष्कर्ष के साथ–साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निष्कर्षों को भी वर्णित किया गया है।

अध्ययन की सीमाएं

समय एवं वित्त की कमी के कारण शोधकर्ता ने अध्ययन को सीमित क्षेत्रों पर लागू करने का चयन किया है। क्योंकि आखिरी सर्वेक्षण विधि के द्वारा एकत्रित किए गए हैं इसलिए इनकी जांच से जुडी

खामियां अध्ययन में निश्चित तौर पर आती है। शोधकर्ता द्वारा आंकडे यथासंभव सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं। शोधकर्ता के द्वारा हाल ही के कुछ वर्षों का डेटा विश्लेषण किया गया है। शोधकर्ता ने यादृच्छिक नमूना करण पद्धति से संतुष्ट होकर बैंकरों से संपर्क किया तो बैंकरों ने इस आधार पर कार्ड धारकों से संबंधित कोई भी जानकारी देने से इंकार कर दिया क्योंकि इस तरह की जानकारी पूर्णता गोपनीय रखी जाती है इसलिए शोधकर्ता को पूर्ण जानकारी प्राप्त होना संभव नहीं है।

निष्कर्ष

भारत मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है हमारी 60 प्रतिशत से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद भारतीय किसान लगभग हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। कृषि ऋण की कमी या उस तक पहुंच किसानों को ऋण के लिए साहूकारों जैसे असंगठित क्षेत्र का सहारा लेने के लिए मजबूर करती है। हालाँकि साहूकार किसानों को आकर्षक प्रस्तावों का लालच दे सकते हैं, लेकिन वे अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं और जमानत माँगते हैं। जब किसान किस्तें चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो वे गहरे कर्ज में डूब जाते हैं और अपनी संपत्ति भी खो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार को किसानों की दुर्दशा का एहसास हुआ है और उनकी मदद के लिए कई ऋण योजनाएं लेकर आई हैं। ऐसी ही एक मदद किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में आती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आर वी गुप्ता समिति की सिफारिशों पर शुरू की गई थी और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने इस योजना का मॉडल तैयार किया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं में मदद करने के लिए सावधि ऋण और नकद ऋण प्रदान करना था।

अधिकांश सरकारी योजनाओं का लक्ष्य किसानों की बड़ी ऋण आवश्यकताओं जैसे सिंचाई की लागत, उपकरण और मशीनरी खरीदना आदि को पूरा करना है, लेकिन एक किसान को खेती के दैनिक खर्चों को पूरा करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसान क्रेडिट कार्ड, नकद ऋण सुविधा प्रदान करके, ऐसी अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए आसान धन प्रदान करता है। कार्डधारकों को बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केसीसी के साथ सावधि ऋण भी प्रदान किए जाते हैं। कई वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करते हैं। सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह, केसीसी भी पूर्व निर्धारित क्रेडिट सीमा के साथ आता है। बैंक आवेदक की भूमि जोत, फसलों के भविष्य के अनुमान और उनके द्वारा मांगे जाने वाले वित्त के पैमाने को ध्यान में रखकर सीमा निर्धारित करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अरुण राव, के. और भट, रामचन्द्र, 1985, एन इवैल्यूएशन ऑफ द कआताका में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण ऋण का वितरण।
- बनकर बी और सूर्यप्रकाश एस. (1987) कर्नाटक में फसल उत्पादन ऋण का उधार और उपयोग पेटर्न वॉल्यूम 160रू पृ. 77—83.
- बनाकर, बी. और सूर्यप्रकाश, एस., 1987, कर्नाटक में फसल उत्पादन ऋण का उधार और उपयोग पेटर्न एक केस अध्ययन प्रजानान, 16 (1) 77—83
- बैंक बीबी और सिंह एसके (1978)। अल्पकालिक ऋण फैलाने की लागत, भारतीय, सहकारी 16 (1 पीपी2एल—26)।
- सी.डी. श्रीनिवासन, किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी जारी करने की संशोधित योजना मई 2012
- कपूर, जे (1999), कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में संरचनात्मक सुधार, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अक्टूबर, खंड 53 नंबर 10, पीपी, 1185—11901
- देसाई, भूपत एम. और एन.वी. नंबूदरी (1993), ग्रामीण वित्तीय संस्थाएँ प्रचार और प्रदर्शन, ऑक्सफोर्ड, नई दिल्ली।
- देसाई, एस. एस. एम. भारत में ग्रामीण बेकिंग, हिमालय पब हाउस, बॉम्बे, 1986, पृ. 253.
- जगदीश, डीएम, 1988, तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक और बेल्लारी ओर रायचूर जिले में इसकी चयनित शाखाओं का प्रदर्शन एक आर्थिक विश्लेषण एमएससी (एजीएन) थीसिस यूनिवर्सिटी एएनसी साइंस, धारवाड कर्नाटक (भारत)
- जमुनरानी, एन., 2009, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आयाम, द कूपरेटर, अगस्त 2009, पीपी 74—751
- कल्लूर एमएस (2005) पिछडे क्षेत्र में ऋण के प्रवाह और पुनर्भुगतान दर पर किसान क्रेडिट कार्ड का प्रभाव, शाहपुर तालुक गुलबर्गा जिले के कृषि विकास बैंक, कर्नाटक राज्य भारत ।

- एम. धनभाक्यम, जे. मलारविजी। केनरा बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग की जागरूकता और समस्याओं पर एक अध्ययन।
- मधुसूदन राव, बी. वी., 2000 सहकारी कृषि ऋण–कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में एक आर्थिक अध्ययन एम. एससी. (कृषि) थीसिस, विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान, बेंगलोर, कर्नाटक (भारत)।
- मोहन, राकेश (2002), ए डिकेड आफ्टर 1991, न्यू चौलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, 28वां फ्रैंक मोरेस व्याख्यान 26 जुलाई को चेन्नई में दिया गया, जो यूनाइटेड राइटर्स एसोसिएशन और फ्रैंक मोरेस फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, नवंबर।
- नागराज, एन., 1982 क्रेडिट आवश्यकता अनुमान और भुगतान प्रदर्शन, कामताका के कोलार जिले के चिंतामणि तालुक में शुष्क भूमि रागी और मूंगफली के छोटे किसानों का एक अध्ययन एम. एससी (कृषि) थीसिस, विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान, बेंगलोर, कर्नाटक (भारत)।
- नंबूदिरी, एन. वाई, 2005 कृषि ऋण और ऋणग्रस्तता भारतीय जे. कृषि इकोन, 60 (3)रू 544–560.
- सुबोधकुमार, हेमा त्रिपाठी और मंडपे, एम.के., 2008, डेयरी पालन, भारतीय डेयरी में एसएचजी सदस्यों के बीच आय और रोजगार की स्थिति 60(6) 40–461
- सुरेश, के.ए. 1991, कृषि आय के सहकारी ऋण का प्रभाव, भारत सहकारी समिति, 29(1)35–371